

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] No. 392] नई दिल्ली, सोमवार, 5 अगस्त, 2013/श्रावण 14, 1935

NEW DELHI, MONDAY, 5 AUGUST, 2013/SRAVANA 14, 1935

### भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

### अधिसूचना

मुंबई, 5 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 529(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) (इसके आगे 'मूल विनियमावली' अथवा अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे ।
  - (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लाग् होंगे।

# 2. नया विनियम 20ए जोइना

भाग ॥ में, विनियम 20 के बाद, निम्नितिखित विनियम जोड़ा जाएगाः

"20ए. निवासी व्यक्ति द्वारा समुद्रपार संयुक्त उद्यम (JV) अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) का अधिग्रहण अथवा की स्थापना

इस अधिसूचना की अनूसूची V के मानदण्ड पूरे करने वाला कोई निवासी व्यक्ति (अकेले अथवा

किसी अन्य निवासी व्यक्ति अथवा अधिसूचना में यथापरिभाषित "किसी भारतीय पक्ष (पार्टी)" के साथ मिलकर), भारत से बाहर के किसी संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ईक्विटी शेयरों और अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश कर सकता है।"

### 3. नई अनुसूची V जोड़ना

अनुसूची IV के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी:

"अनुसूची V [विनियम 20ए देखें]

### ए. निवासी व्यक्तियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

- 1. निवासी व्यक्ति द्वारा रियल इस्टेट कारोबार अथवा बैंकिंग कारोबार अथवा वित्तीय सेवा गतिविधियों के कारोबार में संलग्न समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध है।
- 2. समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी किसी सद्भावी/निष्कपट कारोबारी गतिविधि में संलग्न हो।
- 3. निवासी व्यक्ति द्वारा (अकेले अथवा किसी अन्य निवासी व्यक्ति और/अथवा किसी भारतीय पक्ष (पार्टी) के साथ मिलकर स्थापित किए जाने वाले अथवा अधिग्रहीत किए जाने वाले) ऐसे समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध है जो उन देशों/क्षेत्रों में स्थित हैं/होने हैं जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने "असहयोगी देशों और क्षेत्रों के रूप में पहचाना है" जो एफएटीएफ की वेबसाइट www.fatf-gafi.org पर उपलब्ध हैं अथवा जैसाकि रिज़र्व बैंक ने अधिस्चित किया है।
- 4. ऐसे निवासी व्यक्ति का नाम रिज़र्व बैंक की निर्यातकों संबंधी सतर्कता सूची अथवा बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में नहीं होना चाहिए अथवा किसी जांच/प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक संस्था (body) द्वारा जांच के अधीन न हो।
- 5. निवेश के समय अनुमत उच्चतम सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत, समय-समय पर, निवासी व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  - [स्पष्टीकरणः ईईएफसी/आरएफसी खाते में जमाशेष से किए गए निवेश भी उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा तक सीमित होंगे। ]
- 6. इस अनुसूची के अंतर्गत निवासी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहीत/स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केवल आपरेटिंग संस्था (एंटिटी) होगी और संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किसी स्टेप डाउन सहायक कंपनी को अधिग्रहीत अथवा स्थापित करने की अनुमित नहीं होगी।
- 7. इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश के प्रयोजन हेतु मूल्यांकन अधिसूचना के विनियम 6(6)(ए) के अनुसार किए जाएंगे।

8. इस अधिसूचना के विनियम 20ए के साथ पठित विनियम 2(ई) में यथापिरभाषित समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश से भिन्न किसी अन्य प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता (दायित्व लेना) संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के प्रति/की ओर से की जानी प्रतिबंधित है।

# बी. निवेशोत्तर परिवर्तन

अधिसूचना के विनियम 15 के अनुसार, संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की शेयरधारिता में हुए किसी परिवर्तन को 30 दिनों के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट किया जाए, साथ ही उसे वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट में भी शामिल किया जाए।

# सी. निवासी व्यक्तियों द्वारा विनिवेश

- 1. कोई निवासी व्यक्ति जिसने इस अनुसूची के उपबंधों के तहत कोई संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अधिग्रहीत/स्थापित की है, वह अंतरण/बिक्री के मार्फत (अंशत:/पूर्णत:) अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के परिसमापन/विलयन के द्वारा उसका विनिवेश कर सकता है।
- िकसी निवासी व्यक्ति को समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना/अधिग्रहण हेतु प्रथम विप्रेषण करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर ही उसके विनिवेश की अनुमित दी जाएगी।
- 3. विनिवेश से प्राप्त राशि तुरंत और हर हालत में विनिवेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारत प्रत्यावर्तित की जाएगी और उसे प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट किया जाएगा।
- विनिवेश के मामले में निवासी व्यक्ति द्वारा उसे बट्टे खाते में डालने की अनुमित नहीं होगी।

### डी. <u>रिपोटिंग अपेक्षाएं</u>

- इस अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने वाला निवासी व्यक्ति विप्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर, विधिवत पूर्ण, फार्म ओडीआई का भाग । नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करेगा।
- 2. निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश को विप्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी फार्म ओडीआई के भाग । और ॥ में रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेगा।
- 3. इस अनुसूची के उपबंधों के तहत संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित/अधिग्रहीत करने वाले निवासी व्यक्तियों पर भी अधिसूचना के विनियम 15 के अनुसार अपेक्षित दायित्व लागू होंगे।

4. निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए विनिवेश को नामित प्राधिकृत व्यापारी फार्म ओडीआई के भाग IV में विनिवेश-राशि प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा।"

[सं. फेमा 263/आर बी-2013] रश्मि फौजदार, मुख्य महा प्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली, भारत सरकार के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 19 नवम्बर, 2004 के सा.का.नि. सं. 757(अ) के जिरये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

सा.का.नि. सं. 220(अ), दिनांक 7-4-2005

सा.का.नि. सं. 337(अ), दिनांक 27-5-2005

सा.का.नि. सं. 552(अ), दिनांक 31-8-2005

सा.का.नि. सं. 535(अ), दिनांक 6-9-2006

सा.का.नि. सं. 13(अ), दिनांक 5-1-2008

सा.का.नि. सं. 209(अ), दिनांक 25-3-2008

सा.का.नि. सं. 676(अ), दिनांक 24-9-2008

सा.का.नि. सं. 756(अ), दिनांक 31-10-2008

सा.का.नि. सं. 108(अ), दिनांक 20-2-2009

सा.का.नि. सं. 301(अ), दिनांक 1-5-2009

सा.का.नि. सं. 441(अ), दिनांक 23-6-2009

सा.का.नि. सं. 609(अ), दिनांक 28-8-2009

सा.का.नि. सं. 607(अ), दिनांक 3-8-2012

सा.का.नि. सं. 609(अ), दिनांक 3-8-2012, और

सा.का.नि. सं. 947(अ), दिनांक, 31-12-2012

### **RESERVE BANK OF INDIA**

#### (Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th March, 2013

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely:—

### 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette

### 2. Insertion of New Regulation 20A

In Part II, after Regulation 20, the following Regulation shall be inserted:

# "20A. Acquisition or Setting up of a JV or WOS abroad by resident individual

A resident individual (single or in association with another resident individual or with an 'Indian Party' as defined in this Notification) satisfying the criteria as per Schedule V of this Notification, may make overseas direct investment in the equity shares and compulsorily convertible preference shares of a Joint Venture (JV) or Wholly Owned Subsidiary (WOS) outside India."

### 3. <u>Insertion of New Schedule V</u>

After Schedule IV, the following Schedule shall be inserted:

"Schedule V [See Regulation 20A]

### A. Overseas Direct Investments by Resident Individuals

- Resident individual is prohibited from making direct investment in a JV or WOS abroad which is engaged in the real estate business or banking business or in the business of financial services activity.
- 2. The JV or WOS abroad shall be engaged in bonafide business activity.
- 3. Resident individual is prohibited from making direct investment in a JV / WOS [set up or acquired abroad individually or in association with other resident individual and / or with an Indian party] located in the countries identified by the Financial Action Task Force (FATF) as "non co-operative countries and territories" as available on FATF website <a href="www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a> or as notified by the Reserve Bank.
- 4. The resident individual shall not be on the Reserve Bank's Exporters Caution List or List of defaulters to the banking system or under investigation by any investigation / enforcement agency or regulatory body.

3393 GI/13-2

- 5. At the time of investments, the permissible ceiling shall be within the overall ceiling prescribed for the resident individual under Liberalised Remittance Scheme as prescribed by the Reserve Bank from time to time. [Explanation: The investment made out of the balances held in EEFC / RFC account shall also be restricted to the limit prescribed under LRS.]
- 6. The JV or WOS, to be acquired / set up by a resident individual under this Schedule, shall be an operating entity only and no step down subsidiary is allowed to be acquired or set up by the JV or WOS.
- 7. For the purpose of making investment under this Schedule, the valuation shall be as per Regulation 6(6)(a) of this Notification.
- 8. The financial commitment by a resident individual to / on behalf of the JV or WOS, other than the overseas direct investments as defined under Regulation 2(e) read with Regulation 20A of this Notification, is prohibited.

### B. Post Investment Changes

Any alteration in shareholding pattern of the JV or WOS may be reported to the designated AD within 30 days including reporting in the Annual Performance Report as required to be submitted in terms of Regulation 15 of this Notification.

### C. Disinvestment by Resident Individuals

- 1. A resident individual, who has acquired / set up a JV or WOS under the provisions of this Schedule, may disinvest (partially or fully) by way of transfer / sale or by way of liquidation / merger of the JV or WOS.
- 2. Disinvestment by a resident individual shall be allowed after one year from the date of making first remittance for setting up or acquiring the JV or WOS abroad.
- 3. The disinvestment proceeds shall be repatriated to India immediately and in any case not later than 60 days from the date of disinvestment and the same may be reported to the designated AD.
- 4. No write off shall be allowed in case of disinvestments by the resident individuals.

### D. Reporting Requirements

- The resident individual, making overseas direct investments under the provisions of this Schedule, shall submit Part I of the Form ODI, duly completed, to the designated authorised dealer, within 30 days of making the remittance.
- 2. The investment, as made by a resident individual, shall be reported by the designated authorised dealer to the Reserve Bank in Form ODI Part I and II within 30 days of making the remittance.
- 3. The obligations as required in terms of Regulation 15 of this Notification shall also apply to the resident individuals who have set up or acquired a JV or WOS under the provisions of this Schedule.
- 4. The disinvestment by the resident individual may be reported by the designated AD to the Reserve Bank in Form ODI Part IV within 30 days of receipt of disinvestment proceeds."

[No. FEMA 263/RB-2013] RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

#### **Foot Note:**

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of GOI vide G.S.R. No 757 (E) dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:-

- G.S.R. No. 220 (E) dated April 7, 2005,
- G.S.R. No. 337 (E) dated May 27, 2005,
- G.S.R. No. 552 (E) dated August 31, 2005,
- G.S.R. No. 535 (E) dated September 6, 2006,
- G.S.R. No.13 (E) dated January 5, 2008,
- G.S.R. No. 209(E) dated March 25, 2008,
- G.S.R. No.676 (E) dated September 24, 2008,
- G.S.R. No.756 (E) dated September 31, 2008,
- G.S.R. No.108 (E) dated February 20, 2009,
- G.S.R. No. 301(E) dated May 1, 2009,
- G.S.R. No. 441(E) dated June 23, 2009,
- G.S.R. No. 609(E) dated August 28, 2009,
- G.S.R. No. 607(E) dated August 3, 2012,
- G.S.R. No. 609(E) dated August 3, 2012 and
- G.S.R. No. 947(E) dated December 31, 2012.